न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
021/2020(रसद) (GCMS 2020/00323)	04.09.2020	19.04.2022

अनवान

खेमराज पिता धनराज अहीर उम्र 39 वर्ष निवासी खेडा अहीरान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ मो.नं. 99287 88473

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– सावन श्रीमाली — अधिवक्ता अपीलार्थी
हितेश जोशी — पैरोकार सरकार

प्रथम अपील बनाराजगी निर्णय एवं आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ पीठासीन अधिकारी श्रीमती बिजल सुराणा, बअनवान सरकार बनाम खेमराज अहीर, प्रकरण संख्या 258/2016 निर्णय दिनांक 22.05.2020

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 22.05.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बडीसादडी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड बडीसादडी से चालान संख्या 6105 दिनांक 27.07.2016 के जरिये अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान गांव देवली पंचायत समिति डूंगला में एपीएल गेंहूं 229 नग, वनज 113 क्विंटल 58 किलो माल गाडी संख्या आरजे 27 जी 4353 से ड्राइवर कैलाश द्वारा माल खाली कर चालान की प्रति दी गई जिसकी पावती दुकानदार अपीलांट खेमराज द्वारा प्राप्त की गई। इस प्रकार अपीलांट की दुकान पर माल खाली होने के उपरांत पावती रसीद की प्रति अपीलांट द्वारा प्राप्त की व मूल प्रति ड्राईवर को दी गई थी, यदि पहुॅच की रसीद संबंधित विभाग में नहीं पहुॅची है तो उसका दायित्व खेमराज का नहीं रहता है। पुलिस थाना डूंगला द्वारा एफआईआर नंबर 96/2016 दिनांक 28.07.2016 में कालाबाजारी में उपयोग होने वाले गेंहूं बताकार जब्तशुदा बताया गया माल से अपीलांट का कोई संबंध सरोकार नहीं है, अपीलांट द्वारा कोई अपराध वर्णित एफआईआर नहीं किया गया है और निर्दोष अपीलांट को राजनैतिक द्वैषतावश झुठा प्रकरण में फंसाया गया है। उक्त झूठे एवं आधारहीन इत्तला प्रकरण पर प्रवर्तन अधिकारी डूंगला एवं अन्य अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन करना बताया जाकर पर्चा मौका तैयार होना बताया गया। दिनांक 01.08.2016 को सीलशुदा दुकान को खुलवाकर रखी गई राशन सामग्री का सत्यापन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया जिसमें रेकार्ड से राशन सामग्री व माल बराबर पाया गया किसी प्रकार की कोई कमीबेशी नहीं रही है। पुलिस थाना डूंगला पुरा स्टॉक रजिस्टर मुकदमे में जब्त करले जाने के कारण एक स्टॉक रजिस्टर ही भौतिक सत्यापन में शामिल नहीं हो सका। उक्त स्टॉक रजिस्टर को भी अधिकारी चाहे तो पुलिस से प्राप्त कर सत्यापन कर सकती थी परंतु जानबुझकर अपीलाण्ट के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ विधिवत् कार्यवाही नहीं की गई और दिनांक 05.08.2016 को विधि विपरित कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस में वर्णित आरोपों से इनकार कर जवाब अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय में दिनांक 03.10.2016 को ही प्रस्तुत कर दिया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बगैर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने के सम्मन जारी नहीं करवाये गए और बिना कोई सुनवाई का मौका दिए नैसगिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर विधि विपरित निर्णय दिनांक 22.05.2020 को पारित कर दिया गया जिससे दुखी एवं असंतुष्ट होकर का अपील न्यायालय आप में प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम वाकियाते तथ्यों के विपरित होकर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बगैर निर्णय पारित कर दिया गया और अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना किसी जानकारी के पारित निर्णय की भी कोई प्रति अपीलांट को न्यायालय अथवा संबंधित अधिकारी से जारी नहीं की गई है, इस प्रकार पारित आदेश पूर्णतया विधि विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच प्रतिवेदन कार्यवाही उपरांत नही मंगवाया गया है। प्रकरण के धरातल पर जाकर बिना किसी जांच के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काल्पनिक एवं अनुमानित निर्णय पारित कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवसर दिए बर्गर बिना किसी सुनवाई के दिनांक 05.08.2016 को आदेश क्रमांक रसद/विधि/70/2016/211 से अपीलांट के उचित मूल्य की दुकान देवली का जारी प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त निलंबन आदेश भी जांच होने से पूर्व ही बिना किसी अपराध के आपराधिक प्रकरण में अनुसंधान भी पूर्ण नहीं होने से पूर्व पारित कर दिया गया। इस प्रकार निलंबन आदेश दिनांक 05.08.2016 विधि विपरित होकर गैर कानूनी आदेश रहा है। निलंबन आदेश से भी 90 दिवस की अवधि के उपरांत प्राधिकार पत्र बहाली हो चुका था। इस प्रकार विवादित आदेश दिनांक 22.05.2020 तक कोई निलंबन आदेश प्रभाव में नहीं रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2017 को वैकल्पिक अवस्था आदेश जारी कर दी गई जो कि पूर्णतया विधि विपरित एवं गैर कानूनी रही है। अधीनस्थ न्यायालय को निश्चित समयावधि में नियमित सुनवाई करा फर्द अहकाम पर पेशी नियत करा बचाव के अवसर उपलब्ध करा गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। पुलिस थाना डूंगला में पंजीबद्ध प्रकरण एफआईआर में 96/2016 में अनुसंधान भी पूर्ण नहीं हुआ है और वर्तमान परिस्थिति तक पुलिस द्वारा भी चालान प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलांट को संलिप्त मानना गैर कानूनी है। अपीलाण्ट को किसी भी न्यायालय द्वारा अपराध का दोषी प्रमाणित नहीं माना गया है और न्यायिक निर्णय होने से पूर्व न्यायालय द्वारा बिना कोई सुनवाई किए दस्तावेजों का अवलोकन किए बगैर विधि विपरित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। दिनांक 01.08.2016 को पर्चा मौका को साथ कोई नक्शा मौका अथवा मौके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की फोटोग्राफी नहीं करवाई गई है। नक्शा मौका एवं मौके की फोटोग्राफ्स इसलिए रेकार्ड पर नहीं लिए गए क्योंकि कारण बताओं नोटिस की क्रम संख्या 1 व 2 पूर्णतया झूठे प्रमाणित हो जाते और वास्तविक स्थिति रेकार्ड पर आ जाती। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई नियमों की अवहेलना अथवा अपराध कारित नहीं किया गया है। दुकान सील होने से एवं बरसात का मौसम होने से बाहर पडे ब्लैकबोर्ड पर अंकन रेकार्ड धूंधला हो गया था जिसे यह नहीं माना जा सकता कि प्रदर्शन नहीं किया गया हो। मासिक मानचित्र भी नियमित रूप से अपीलांट द्वारा सक्षम अधिकारी को भिजवाये जाते रहे है। भौतिक सत्यापन में भी संपूर्ण रेकार्ड बराबर पाया गया है, और आपराधिक प्रकरण में अंतिम न्यायिक निर्णय होने से पूर्व अपीलांट को दोषी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार सभी बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के अनुमानित तौर पर निर्णित करने में भारी भूल की है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को राजनैतिक द्वैषतावश तथाकथित ग्रामवासियान बताकार प्रस्तुत शिकायत पत्र पर किसी प्रकार की कोई तारीख प्रस्तुतिकरण नहीं रही है। उक्त आवेदन को केवल मात्र प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आधार बनाने के लिए पत्रावली पर लिया गया है और उक्त आवेदन पूर्णतया झूझा आधारहीन एवं राजनैतिक द्वैषतापूर्ण होकर प्रकरण से कोई संबंध नहीं रखता है। राजनैतिक द्वैषता से प्रस्तुत आवेदन एवं शिकायत पर बिना किसी जांच परख के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकार की और से कोई ठोस साक्ष्य अपीलांट के विरूद्ध नहीं होते हुए बिना किसी आधार के निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पेज संख्या 2 की कलम संख्या 6 की अंतिम दो लाइनों में उल्लेखित किया गया है कि ''इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद नही होने से स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है।'' योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने किससे किन परिस्थितियों में, किन कारणों से जवाब संतोषप्रद नहीं माना ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि अधूरा अस्पष्ट आदेश पारित कर दिया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 22.05.2020 की कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं रही है। अपीलाण्ट को दिनांक 03.10.2016 का कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ जिससे पूर्व ही निलंबन आदेश जारी किये जा चुके थे। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 03.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किए गए तदउपरांत सुनवाई के लिए, साक्ष्य प्रस्तुति के लिए, बचाव के लिए, कोई सम्मन जारी नहीं किए गए और न ही कोई पेशी की जानकारी अपीलांट को उपलब्ध कराई गई है। माह अप्रेल 2020 से कोरोना माहमारी चल रही है जिससे भी पक्षकार अपीलांट न्यायालय में आकर प्रकरण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त नहीं कर सका है। दिनांक 17.08.2020 को प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपीलांट के चित्तौड़गढ़ आने पर पता चला कि दिनांक 22.05.2020 को ही निर्णय पारित हो चुका है। दिनांक 21.08.2020 को निर्णय प्रमाणित प्रतिलिपी तैयार होकर अपीलांट के दिनांक 24.08.2020 को चित्तौड़गढ़ आने पर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई और बिना किसी देरी के उक्त अपील दिनांक 25.08.2020 को न्यायालय आप में प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब दिनांक 22.05.2020 से दिनांक 17.08.2020 तक निर्णय की जानकारी नहीं होने से हुई है जो कि अपीलांट की सद्भाविक एवं परिस्थिति जन्य रही है, अपीलांट प्रकरण में विचारणीय बिन्दू न्यायिक तार्किक एवं बहूमूल्य अधिकारों से संबंधित है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिनका मयाद के तकनिकी बिन्दू पर न्याय से अपीलाण्ट को वंचित कर निर्णित किया जाना न्याय संगत नहीं है जिससे समस्त देरी को कंडोन किया जाकर अपील दर्ज फरमा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अपील के साथ धारा 05 कानून मयाद अधिनियम का आवेदन मय शपथपत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट वर्णितानुसार स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2020 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं देवली उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 19/2006 को प्रभावी कराये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं अन्य। उचित सहायता हक अपीलांट हो दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/रसद/विधि./2020/1296 दिनांक 22.09.2020 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 258/2016 निर्णय दिनांक 22.05.2020 अनवानी सरकार बनाम खेमराज प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 12.04.2022 को पैरोकार सरकार ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया।

इस पर सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 22.05.2020 की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं रही है, अपीलांट को दिनांक 03.10.2016 का कारण बताओं नोटिस प्राप्त हुअस जिससे पूर्व ही निलंबन आदेश जारी किये जा चुके थे, अपीलांट द्वारा दिनांक 03.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किए गए तद्उपरांत सुनवाई के लिए साक्ष्य प्रस्तुति के लिए बचाव के लिए कोई सम्मन जारी नहीं किए गए और न ही कोई पेशी की जानकारी अपीलांट को उपलब्ध कराई गई है। माह अप्रेल 2020 से कोरोना माहमारी चल रही है जिससे भी पक्षकार अपीलांट न्यायालय में आकर प्रकरण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त नहीं कर सका है। दिनांक 17.08.2020 को प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपीलांट के चित्तौड़गढ़ आने पर पता चला कि दिनांक 22.05.2020 को ही निर्णय पारित हो चुका है। दिनांक 21.08.2020 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार होकर अपीलांट के दिनांक 24.08.2020 को चित्तौड़गढ़ आने पर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई और बिना किसी देरी के उक्त अपील दिनांक 25.08.2020 को न्यायालय आप में प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब दिनांक 22.05.2020 से दिनांक 17.08.2020 तक निर्णय की जानकारी नहीं होने से हुई है जो कि अपीलांट की सद्भाविक एवं परिस्थितिजन्य रही है, अपीलांट प्रकरण में विचारणीय बिन्दु न्यायिक तार्किक एवं बहुमूल्य अधिकारों से संबंधित है जिनका मयाद के तकनिकी बिन्दु पर न्याय से अपीलांट को वंचित कर निर्णित किया जाना न्याय संगत नहीं है जिससे समस्त देरी को कंडोन किया जाकर अपील दर्ज फरमा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

इस पर विद्वान पैरोकार ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा बाद में जानबूझकर अनुपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 22.05.2022 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला रसद अधिकारी, नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, अतः अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद अवधि शुमार की जाती है।

इस के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि बडीसादडी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड बडीसादडी से चालान संख्या 6105 दिनांक 27.07.2016 के जरिये अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान गांव देवली पंचायत समिति डूंगला में एपीएल गेंहूं 229 नग, वजन 113 क्विंटल 58 किलो माल गाडी संख्या आरजे 27 जी 4353 से ड्राइवर कैलाश द्वारा माल खाली कर चालान की प्रति दी गई जिसकी पावती दुकानदार अपीलांट खेमराज द्वारा प्राप्त की गई। इस प्रकार अपीलांट की दुकान पर माल खाली होने के उपरांत पावती रसीद की प्रति अपीलांट द्वारा प्राप्त की व मूल प्रति ड्राईवर को दी गई थी, यदि पहुॅच की रसीद संबंधित विभाग में नहीं पहुॅची है तो उसका दायित्व खेमराज का नहीं रहता है। पुलिस थाना डूंगला द्वारा एफआईआर नंबर 96/2016 दिनांक 28.07.2016 में कालाबाजारी में उपयोग होने वाले गेंहूं बताकार जब्तशुदा बताया गया माल से अपीलांट का कोई संबंध सरोकार नहीं है, अपीलांट द्वारा कोई अपराध वर्णित एफआईआर नहीं किया गया है और निर्दोष अपीलांट को राजनैतिक द्वैषतावश झुठा प्रकरण में फंसाया गया है। उक्त झुठे एवं आधारहीन इत्तला प्रकरण पर प्रवर्तन अधिकारी डूंगला एवं अन्य अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन करना बताया जाकर पर्चा मौका तैयार होना बताया गया। दिनांक 01.08.2016 को सीलशुदा दुकान को खुलवाकर रखी गई राशन सामग्री का सत्यापन किया गया जिसमें रेकार्ड से राशन सामग्री व माल बराबर पाया गया किसी प्रकार की कोई कमीबेशी नहीं रही है। अपीलाण्ट को दिनांक 05.08.2016 को विधि विपरित कारण बताओ नोटिस जारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर दिया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस में वर्णित आरोपों से इनकार कर जवाब अपीलांट द्वारा न्यायालय में दिनांक 03.10.2016 को ही प्रस्तुत कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बगैर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने के सम्मन जारी नहीं करवाये गए और बिना कोई सुनवाई का मौका दिए नैसगिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर विधि विपरित निर्णय दिनांक 22.05.2020 को पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवसर दिए बगैर बिना किसी सुनवाई के दिनांक 05.08.2016 को आदेश क्रमांक रसद/विधि/70/2016/211 से अपीलांट के उचित मूल्य की दुकान देवली का जारी प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त निलंबन आदेश भी जांच होने से पूर्व ही बिना किसी अपराध के आपराधिक प्रकरण में अनुसंधान भी पूर्ण नहीं होने से पूर्व पारित कर दिया गया। इस प्रकार निलंबन आदेश दिनांक 05.08.2016 विधि विपरित होकर गैर कानूनी आदेश रहा है। निलंबन आदेश से भी 90 दिवस की अवधि के उपरांत प्राधिकार पत्र बहाली हो चुका था। इस प्रकार विवादित आदेश दिनांक 22.05.2020 तक कोई निलंबन आदेश प्रभाव में नहीं रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2017 को वैकल्पिक अवस्था आदेश जारी कर दी गई जो कि पूर्णतया विधि विपरित एवं गैर कानूनी रही है। पुलिस थाना डूंगला में पंजीबद्ध प्रकरण एफआईआर में 96/2016 में अनुसंधान भी पूर्ण नहीं हुआ है और वर्तमान परिस्थिति तक पुलिस द्वारा भी चालान प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलांट को संलिप्त मानना गैर कानूनी है। अपीलाण्ट को किसी भी न्यायालय द्वारा अपराध का दोषी प्रमाणित नहीं माना गया है और न्यायिक निर्णय होने से पूर्व न्यायालय द्वारा बिना कोई सुनवाई किए दस्तावेजों का अवलोकन किए बगैर विधि विपरित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। दिनांक 01.08.2016 को पर्चा मौका को साथ कोई नक्शा मौका अथवा मौके की फोटोग्राफी नहीं करवाई गई है। नक्शा मौका एवं मौके की फोटोग्राफ्स इसलिए रेकार्ड पर नहीं लिए गए क्योंकि कारण बताओं नोटिस की क्रम संख्या 1 व 2 पूर्णतया झूठे प्रमाणित हो जाते और वास्तविक स्थिति रेकार्ड पर आ जाती। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई नियमों की अवहेलना अथवा अपराध कारित नहीं किया गया है। दुकान सील होने से एवं बरसात का मौसम होने से बाहर पडे ब्लैकबोर्ड पर अंकन रेकार्ड धूंधला हो गया था जिसे यह नहीं माना जा सकता कि प्रदर्शन नहीं किया गया हो। मासिक मानचित्र भी नियमित रूप से अपीलांट द्वारा सक्षम अधिकारी को भिजवाये जाते रहे है। भौतिक सत्यापन में भी संपूर्ण रेकार्ड बराबर पाया गया है, और आपराधिक प्रकरण में अंतिम न्यायिक निर्णय होने से पूर्व अपीलांट को दोषी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार सभी बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के अनुमानित तौर पर निर्णित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पेज संख्या 2 की कलम संख्या 6 की अंतिम दो लाइनों में उल्लेखित किया गया है कि ''इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद नही होने से स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है।'' योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने किससे किन परिस्थितियों में, किन कारणों से जवाब संतोषप्रद नहीं माना ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि अधूरा अस्पष्ट आदेश पारित कर दिया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का दृष्टिपात कराया एवं बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ही विस्तृत जांच की गई जिसमें दुकान के बाहर मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन किया जाना नहीं पाया गया। दुकान के बाहर दुकान के खुलने के दिवस एवं समय का प्रदर्शन किया जाना नहीं पाया गया। मासिक मानचित्र सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाना नहीं पाया गया। भौतिक सत्यापन करने पर 466 कट्टों में 22705.900 किग्रा गेहूं 3 कट्टों में 128 किग्रा चीनी 7 ड्रमों में 1073 लीटर केरोसीन मिला। पुलिस द्वारा रिकार्ड ले जाने के कारण मौके पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण डीलर के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन में पाई गई राशन सामग्री से मिलान नहीं किया जा सका। पुलिस थाना डूंगला द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध गेहूं को अनाधिकृत गोदाम में खाली कराने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान जारी है, उक्त गम्भीर अनियमितता के कारण जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति जब्त करने के आदेश दिये गये है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नही की अनजाने मे प्रकिया सम्बन्धि प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2020 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 019/2006 बहाल फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। प्रवर्तन अधिकारी डूंगला की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2016 के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा अनियमितताऐ कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 9 व 10 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा क्रमांक/ रसद/विधि/70/2016/211 दिनांक 05.08.2016 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। अपीलार्थी द्वारा दुकान के बाहर मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन किया जाना नहीं पाया गया। दुकान के बाहर दुकान के खुलने के दिवस एवं समय का प्रदर्शन किया जाना नहीं पाया गया। मासिक मानचित्र सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाना नहीं पाया गया। भौतिक सत्यापन करने पर 466 कट्टों में 22705.900 किग्रा गेहूं 3 कट्टों में 128 किग्रा चीनी 7 ड्रमों में 1073 लीटर केरोसीन मिला। पुलिस द्वारा रिकार्ड ले जाने के कारण मौके पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण डीलर के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन में पाई गई राशन सामग्री से मिलान नहीं किया जा सका। पुलिस थाना डूंगला द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध गेहूं को अनाधिकृत गोदाम में खाली कराने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उक्त तथ्य यह प्रकट करता है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं की कालाबाजारी कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने के दिये गये आदेश में किसी प्रकार के संशोधन हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण अपील(रसद) अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 258/2016 अनवानी सरकार बनाम खेमराज में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.04.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-s/d-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़
19.04.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official